नीतीश मिश्रा (स.वि.स.)
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

पत्रांक ...38/15.....

दिनांक ..12/05/201..

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

महाशय,

हमारे पूर्व के **पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.2014** के साथ संलग्न अनुलग्नकों की छाया प्रति का अवलोकन किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा ये सूचित किया गया था कि श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम– अररिया संग्राम (झंझारपुर) जिला– मधुबनी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी का एन०एच०– 57 के निर्माण के क्रम में इन आवेदकों की जमीन भी अर्जित की गई थी। परंतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक इन्हे नही दिया गया है। जबकी न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन मध्यस्थ पदाधिकारी ने बाजार मूल्य 68,810/– रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुछ लोगो को उनके जमीन के मुआवजा की राशि दी गई है।

अतएव ऐसी परिस्थिती में भू धारियों के बीच आक्रोश व्याप्त है, जिससे अप्रिय घटना घटने की संभावना भी बनती जा रही है। इसलिए आग्रह है कि इन तथ्यों की जाँच अपने स्तर से करते हुए उन्हे शीघ्र मुआवजा भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 12·5·15

अनुलग्नकः–
1. **पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.14 की छायाप्रति।**
2. **आवेदकों के आवेदन की छायाप्रति एवं न्यायालय आदेश सं० 17/2010–11 दिनांक 31.07.10 के आदेश की छायाप्रति।**

टेलिफैक्स : +91-612-2215218; ई-मेल : nitishmishraoffice@gmail.com; वेबसाईट : www.jhanjharpur.co.in

नीतीश मिश्रा (स.वि.स.)
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

पत्रांक 37/15 दिनांक 12/05/201

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

महाशय,

हमारे पूर्व के **पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.2014** के साथ संलग्न अनुलग्नकों की छाया प्रति का अवलोकन किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा ये सूचित किया गया था कि श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम– अररिया संग्राम (झंझारपुर) जिला– मधुबनी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी का एन०एच०– 57 के निर्माण के क्रम में इन आवेदकों की जमीन भी अर्जित की गई थी। परंतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक इन्हे नही दिया गया है। जबकी न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन मध्यस्थ पदाधिकारी ने बाजार मूल्य 68,810/– रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुछ लोगो को उनके जमीन के मुआवजा की राशि दी गई है।

अतएव ऐसी परिस्थिती में भू धारियों के बीच आक्रोश व्याप्त है, जिससे अप्रिय घटना घटने की संभावना भी बनती जा रही है। इसलिए आग्रह है कि इन तथ्यों की जाँच अपने स्तर से करते हुए उन्हे शीघ्र मुआवजा भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

ह०/–
(नीतीश मिश्रा)

अनुलग्नकः–
1. **पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.14 की छायाप्रति।**
2. **आवेदकों के आवेदन की छायाप्रति एवं न्यायालय आदेश सं० 17/2010–11 दिनांक 31.07.10 के आदेश की छायाप्रति।**

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, मधुबनी को सभी अनुलग्नकों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 12.5.15

टेलिफैक्स : +91-612-2215218; ई-मेल : nitishmishraoffice@gmail.com; वेबसाईट : www.jhanjharpur.co.in

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra

मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
अध्यक्ष
राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
बिहार

पत्रांक/Ref No 665/मि.

दिनांक/Dated : 2/9/14

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम–अररिया संग्राम (झंझारपुर), मधुबनी द्वारा समर्पित आवेदन तथा साक्ष्य से संबंधित कागजात संलग्न है । आवेदकगण मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं । आवेदन में वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि एन0एच0–57 के निर्माण के क्रम में अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे का भुगतान नहीं हाने से ये सभी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं ।

संलग्न आवेदन एवं अनुलग्न कागजातों में वर्णित तथ्यों के आलोक में मुआवजा भुगतान हेतु समुचित कार्रवाई करना चाहेगें ।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 2.9.14

कार्यालय (Office) : पुराना सचिवालय, पटना - 800015, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2205331
आवास (Resi.) : 12, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना। दूरभाष (Tele.) : 0612-2215218, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2215977
ई-मेल (E-mail) : nitishmishraoffice@gmail.com | वेबसाईट (website) : www.rdd.bih.nic.in

सेवा में,

माननीय मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– सरकार द्वारा कृषकों से राष्ट्रीय उच्च पथ–57 के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा दिलाने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण के क्रम में एन0एच0–57 के मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमण्डल एवं झंझारपुर अंचल के अररिया संग्राम पथांश के लिए कई कृषकों एवं रैयतों की जीविका के मुख्य आधार वाली भूमि का अर्जन कर सरकार ने एन0एच0ए0आई0 को दिया है जिसमें कई रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया गया परन्तु हम रैयतों को अब तक मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है । इस संदर्भ में श्रीमान का ध्यान निम्न विन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहेगें –

1. भू–अर्जन की कार्रवाई के अधीन वर्ष 2005–06 में गजट प्रकाशित कर अर्जित भूमि के संबंध में विवरण एवं आपत्ति आमंत्रित की गयी ।

2. हम लोगों ने विधिवत आपत्ति दायर कर अर्जित होने वाली भूमि के बाजार मूल्य में संशोधन कर उचित मुआवजे का अनुरोध किया । तदालोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा कई रैयतों को मुआवजे का भुगतान भी हुआ ।

3. वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 मे रैयतों को मुआवजे की राशि वितरित करने की कार्रवाई चलती रही परन्तु कतिपय कारणों से वर्ष 2009–10 में भुगतान अवरूद्ध रहा । पुनः वर्ष 2010–11 से भुगतान की कार्रवाई की गयी फलस्वरूप अररिया संग्राम मौजा के लगभग 80 प्रतिशत भूधारियों को भुगतान कर दिया गया है ।

4. हम सभी भूधारियों की भूमि व्यवसायिक प्रकृति की है तथा इस भूमि पर स्वयं रोजगार कर अथवा व्यवसायिक कार्य हेतु किराये पर भूमि अथवा निर्मित मकान देकर अपना जीविका चला रहे थे ।

5. उचित मुआवजे की भुगतान नहीं होने की स्थिति में कई भूधारियों द्वारा मध्यस्थ पदाधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की गयी । जिसमें मध्यस्थ पदाधिकारी ने भुगतान में हो रहे विलंब एवं भूमि के प्रकृति के अनुरूप निर्धारित तत्कालीन बाजार मूल्य 68,810/– रूपये प्रति डिसिमल तथा पूर्व से दिये जा रहे मुआवजे की दर से ब्याज सहित वर्ष 2007 में निर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुरूप भुगतान का आदेश पारित किया । इस आदेश के आलोक में भी कतिपय लोगों को भुगतान भी किया गया परन्तु हम 10 भूधारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है । भू–अर्जन अपील वाद सं0–17/2010–11 में दिनांक 31.07.2010 पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है

जिससे स्पष्ट होगा कि भू–अर्जन के समय 68,810/– रूपये प्रति डिसिमिल थी तथा अन्य प्रकार के सोलेशियम एवं बोनस के साथ–साथ ब्याज देय है ।

6. हम भूधारी भी मध्यस्थ पदाधिकारी के समक्ष अपील वाद दायर कर चुके हैं तथा मध्यस्थ पदाधिकारी द्वारा पक्ष में आदेश भी निर्गत किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु आदेश की प्रति संलग्न है ।

7. मध्यस्थ पदाधिकारी के आदेश एवं विहित प्रावधान के बावजूद भी भुगतान नहीं होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया । सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0–10854/2013 में दिनांक–23.06.2014 को पारित न्यायादेश में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को न्यायादेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर मुआवजे की भुगतान करने का निदेश दिया गया है । संदर्भित न्यायादेश की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

8. हम सभी भूधारियों की सूची भूमि के विवरण के साथ अलग से संलग्न किया जा रहा है जिसमें एल0ए0 संख्या के साथ–साथ सन्निहित प्लॉट एवं रकवा अंकित किया गया है ।

9. सभी प्रकार के न्यायादेशों तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 (संकल्प, दिनांक 19.02.2007) के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि हम भूधारियों को जानबुझकर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है । यद्यपि कतिपय लाभुकों को 68,810/– प्रति डिसिमिल तथा अन्य देय अतिरिक्त राशि की दर से ब्यांज सहित भुगतान किया गया है और उसी मौजा, प्लॉट, संलग्न प्लॉट, किस्म आदि की हमारी भूमि के लिए अब तक भुगतान लंबित है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हम सभी भूधारियों को अर्जित भूमि के विरूद्ध मध्यस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के परिप्रेक्ष्य में ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान कराने की कृपा की जाय, जैसा कि अन्य भूधारियों को भी पूर्व में किया जा चुका है । इस उपकार के लिए हम सभी भूधारी कृतज्ञ रहेगें ।

विश्वासभाजन,

(1) Bala Kant Jha
(2) उग्र लाल मंडल
(3) [illegible]
(4) राम मिलन ठाकुर
(5) [illegible] मंडल
(6) [illegible]
(7) [illegible]
(8) मुरारी ठाकुर
(9) [illegible]

तिथि :– 02.09.2014

स्थान :– पटना

बालाकान्त झा पिता स्व० श्यामानन्द झा
ग्राम + पो०- अड़रिया संग्राम अंचल
झंझारपुर जिला मधुबनी
Mob - 9931368685
9431826371

	[illegible] का नाम	L.NO.	खाता न0	खेसरा न0	
	बाला कान्त झा पिता स्व0 दयानन्द झा	204 205 206 207	170 को 346	2328 2329 2330	Balakant Jha
02	मुरारी ठाकुर पे0 मदन मोहन ठाकुर	201 202 203	170 को 346	2327 2328 2329	मुरारी ठाकुर
03	मक्खन ठाकुर पे0 स्व0 बाबूलाल ठाकुर	18[illegible]		2262	मक्खन ठाकुर
04	योगेन्द्र झा वो भगवान झा पिता स्व0 बलभद्र झा	85 86		2312	योगेन्द्र झा
05	फिरन मिश्रा पे0 स्व0 दयाकान्त मिश्र	190 191		2314 2316	फिरन मिश्र
06	आयलाल मंडल पे0 स्व0 मिहीलाल मंडल		532	2251	जय लाल मंडल
07	राम प्रवेश मंडल पे0 स्व0 केलू मंडल	23		2142	राम प्रवेश मंडल
08	पंचु पासवान पे0 स्व0 रुपलाल पासवान	42		2096	पंचु पासवान
09	राम मिलन ठाकुर ~~पिता~~ वो राम कृष्ण ठाकुर वो रामसुन्दर ठाकुर पिता स्व0 भगवती ठाकुर	1 2 3 178, 177		2166 2167 2168 2260 2257	राम मिलन ठाकुर
10	कौशल्या देवी ओर्फ राम मिलन ठाकुर	176		2258	राम मिलन ठाकुर

पता [illegible]